

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी - मार्च, 1992 सत्र

दैनिक बार्थ सूची

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 1992 (फल्गुन 5, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्त: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दियें जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 38 की उपधारा (उ) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की छत्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री कैलाश जोशी, बाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एकट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1986-87 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकरण

(1) श्री पूरसिंह पवार, सदस्य, राजगढ जिले के छापी बांध से कुछको को सिंचाई हेतु पानी न मिल पाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री महेन्द्र बौद्ध, नानालाल पाटीदार, सदस्य, प्रदेश के कुछ शक्ति कारखानों द्वारा कुछको को गञ्ज की कीमत का सही भुगतान न किये जाने की ओर कुछ मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चार्चा

भोपाल:
दिनांक: 22 फरवरी, 1992

मिशन ऐक्सेंड मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा